



कार्यालय
महाप्रबंधक/राजभाषा
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

सं.रा/558/केहिंप्रसं/गहन हिंदी कार्यशाला-2018

दिनांक 12.12.2017

- सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष

(वरि.उपमहाप्रबंधक, प्रमुसुआ, प्रविस, प्रमुसाप्र, प्रमुविइं, प्रमुवाप्र, प्रमुपरिप्र, प्रमुसिदूइं, प्रमुइं, प्रमुचिनि, प्रमुयांइं, मुसंधि, प्रमुकाधि एवं मु.प्रशा.अधि./निर्माण संगठन).

- मुख्य कारखाना प्रबंधक, यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर एवं इज्जतनगर
- मुख्य कारखाना प्रबंधक, पुल एवं सिगनल कारखाना, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
- मंडल रेल प्रबंधक (राजभाषा), पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी

विषय:- केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन: प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष-2018.


संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.11.2017 का पत्रांक हिंदी-2012/प्र.-8/19.

-:-

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रति वर्ष गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है. इन कार्यशालाओं में हिंदी में सफलतापूर्वक कामकाज करने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाती है. रेलवे बोर्ड ने अपने संदर्भगत पत्र के माध्यम से वर्ष-2018 का प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेण्डर भेजा है जो सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है.

अनुरोध है कि गहन हिंदी कार्यशाला के प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेण्डर से सर्वसंबंधित व अधीनस्थों को अवगत करा दें और उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें.

संलग्नक: यथोक्त.


(डॉ. संजय कुमार सिंह)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
कृते महाप्रबंधक(राजभाषा)

कृपया प्रतिलिपि करें।

23/11/17

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

19

सं. हिंदी-2012/प्र.-8/19

नई दिल्ली, दिनांक: 13.11.2017

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

महाप्रबंधक (राजभाषा)

निदेशक,

सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन कारखानें
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे(निर्माण) मालीगांव, गुवाहाटी
मेट्रो रेलवे, कोलकाता.
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद

इरिसेट, इरिसेन, इरिएन, इरिमी.

रेल मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ
कार्यालयों के प्रमुख.

महानिदेशक,

अ.अ.मा.सं., लखनऊ

भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा

176

विषय : केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष - 2018 में गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन.

उपर्युक्त विषय पर कृपया केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 04/10/2017 का पत्र सं. 19011/24/2017/केंहिंप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./1039 से 1938 (प्रतिलिपि संलग्न) देखें, जिसमें गहन हिंदी कार्यशालाओं के लिए हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का अनुरोध किया गया है।

कृपया अपनी रेलवे/कारखाने/संस्थान/कार्यालय से अधिक से अधिक संख्या में हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त गहन हिंदी कार्यशालाओं के लिए नामित करें और उनका विवरण सीधे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड (जेएंडके हाऊस के सामने), राजस्थान भवन के निकट, नई दिल्ली-110011 को भिजवाएं और उसकी प्रति बोर्ड कार्यालय को भी भिजवाएं।

संलग्नक : यथोक्त

सुष्मा सपना खरे

निरु पटनी 13/11/2017

उप निदेशक, राजभाषा

दूरभाष:- 23793521

फैक्स:- 23793521

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 04/10/2017

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय -संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों /सांविधिक निकायों /उद्यमों /अभिकरणों /निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण - वर्ष 2018

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/ अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है । इन कार्यशालाओं में सभी कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

वर्ष 2018 में आयोजित की जाने वाली गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण तिथियों सहित अनुलग्नक-1 में दिया जा रहा है, ताकि सभी संबंधित कार्यालय प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्यशाला के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष के लिए उन्हें एक साथ नामित कर सकें ।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	भारत सरकार के कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	गहन कार्यशाला	(ख) विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करना । (ख) विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन काम हिंदी में करने की झिझक को दूर करना । (ग) कार्यालयीन कार्य को करने की दक्षता (लेखन कौशल) प्रदान करना । (घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/ साफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करना ।	पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय	संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/उद्यम/ अभिकरण/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

....2....

पात्रता

- राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों से कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान • या प्रवीणता •• प्राप्त है । (कार्यसाधक ज्ञान एवं प्रवीणता की परिभाषाएँ अलग से • / • • में दी गई हैं ।)
- जो हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले चुके हैं, परंतु जिन्हें इसके बावजूद भी हिंदी में कार्यालय का कार्य करने में कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में भेजा जा सकता है ।
- उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक संस्थान द्वारा संचालित हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है ।

• हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-

- मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है ।

या

- केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत वांछित परीक्षा उत्तीर्ण की है ।

या

- यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है ।

•• हिंदी में प्रवीणता प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-

- मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है ।

या

- स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो ।

या

- यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है ।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक " III" में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को भिजवाएं ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी को यथासमय इस कार्यालय द्वारा अलग से पुष्टि पत्र भेजा जाएगा ।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुष्टि दिए जाने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए कार्यमुक्त करें ।
- कार्यशालाओं का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- प्रशिक्षण केंद्र का पता: अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे एंड के हाउस के सामने/राजस्थान भवन के नजदीक) नई दिल्ली-110011

